न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—255/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/255)

1. जगदीश पुत्र उगमा जाति जाट निवासी ग्राम पाबूथान तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. सुखपाल पुत्र पूसा जाति जाट निवासी ग्राम लीडी तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
2. नानू पुत्र सोनाथ
3. सुआलाल पुत्र कालू
   दोनों जाति जाट निवासी ग्राम पाबूनाथ तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 02.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (अजमेर) राजस्व वाद संख्या 93/2016

उपस्थितः—

1. श्री मृणाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—28.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (अजमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 93/2016 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/वादी सुखपाल ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष एक वाद संख्या 93/2016 अंतर्गत धारा 93, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 2.5.2018 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (अजमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 93/2016 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विभाजन के वाद में सभी सहखातेदारान ने सहमति नहीं दी और ऐतराज के रूप में जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जब रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 3 व 4 जो कि वाद में प्रतिवादी संख्या–1, 3, 4 रहे हैं जिनकी ओर से भी कोई भी जबाबदावा प्रसतुत नहीं हुआ और ना ही कोई सहमति दी गई और जब प्रतिवादी संख्या–1 की एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया गया तब प्राकृतिक न्याय नियमों एवं न्याय के सिद्धान्तों के तहत अपनी प्रतिरक्षा के लिये जबाब व सुनवाई तथा बयान आदि का समुचित अवसर दिया जाना न्यायसंगत था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19/12/2017 को प्रस्तुत किया उससे पूर्व भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22/11/2017 को प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय को आगाह किया कि खसरा नम्बर–372 में से जो बैचान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुये जो बैचान जिन हिस्सेदारान द्वारा किया जा रहा है उनके हिस्से में से बैचान की गई भूमि को कम करते हुये प्रतिवादी अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन किये जाने का निवेदन किया जिस पर भी विचारण न्यायालय ने कोई सन्तोषजनक आदेश पारित नहीं किया है ना ही हिस्सेदारान के विधिक वारिसान की समुचित जांच की जाकर पूर्व में किये गये बैचान को रेकार्ड पर लेकर बैचान कर्तागण के हिस्से में से बैचान की गई भूमि को कम करने के उपरान्त शेष हिस्से में आई भूमि का विधि अनुसार विभाजन किये जाने का भी कोई निर्देश नहीं दिया और विधि विरूद्ध प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित कर गंभीर विधिक भूल की है जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या–2 जगदीश ने जबाबदावे के साथ काउण्टर क्लेम प्रसतुत किया जाना अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है जिस पर आपत्ति है और सहखातेदारान के मध्य में कोई 'राजीनामा व सहमति नहीं हुई है ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद को विचारण न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की ओर से साक्ष्य व दस्तावेजात को प्रदर्शित कर तनकी कायम कर विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए जिसके विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02/05/2018 से लगातार अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 14/12/2022 तक कुरेजात रिपोर्ट रिकार्ड पर नहीं आई है और आदेशिका दिनांक 10/01/2023 से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किया है और उसके बाद भी बैचान होने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया का प्रस्तुत किया जिसे सुनवाई कर यह कहकर निरस्त कर दिया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पहले से ही निर्णीत किया जा चुका है जबकि प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं चाहा था केवल मात्र वादी व अन्य सहखातेदारान द्वारा वादग्रस्त भूमि में से किये गये बेचान को उनके हिस्से में से कम किये जाने के उपरान्त अगर हिस्से में जमीन बचती है तो उनके हिस्से में व शेष प्रतिवादी/अपीलान्ट के हिस्से की जमीन का विधिनुसार मीट्स एण्ड

बाउण्डस पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना था और कुरेजात मंगाये जाने थे जिसके विपरीत अब तक कुरेजात मंगाये जाने में तारीख पेशियां ही दी जा रही हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर कुरेजात दिनांक 17/11/2021 को ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं जो कि आदेशिका के विरोधाभासी होना स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार व न्याय नियमों के अनुसार वाद का विचारण तनकीयात कायम कर साक्ष्य व दस्तावेजों को प्रदर्शित कर गुणावगुण पर विधिवत रूप से प्राथमिक डिक्री का अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया है जिससे उक्त आदेश को निरस्त किया जाना न्यायसंगत हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 वादी ने वादग्रस्त भूमि के विभाजन के वाद में अन्तिम रूप से डिक्री पारित हुये बिना ही विचारण के दौरान अपने हिस्से से अधिक की भूमि का बैचान दिनांक 01/05/2023 को कर दिया तथा इससे पूर्व भी विक्रय पत्र दिनांक 21/12/2022 के द्वारा भी वादग्रस्त भूमि का बैचान कर दिया और इन बैचान के आधार पर तहसीलदार जो कि विभाजन के वाद में पक्षकार है जिसने बिना अन्तिम निर्णय डिक्री पारित हुये नामान्तरकरण संख्या–1924 व 1923 दिनांक 21/06/2023 भी स्वीकृत करते हुये जमाबंदी का खाता संख्या–1189/355 तथा खाता संख्या–124/112 में अंकन कर दिया जिन्हें विभाजन के वाद में पक्षकार भी नहीं बनाया है और क्रेतागण को सहखातेदार बना दिया, जो कि वादी के हिस्से से अधिक का वादी ने बैचान किया है और इससे प्रतिवादी/अपीलान्ट के हक हिस्से पर कुठाराघात हो रहा है और उसे हडपा जा रहा है जिससे भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर पुनः विधिवत साक्ष्य, दस्तावेजों को प्रदर्शित कर हिस्से अनुसार गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने के लिये समुचित आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत हैं जिसके लिये अपील प्रस्तुत है। अपीलान्ट प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि के पुश्तैनी होने एवं उनके पूर्वज सोनाथ के तीन पुत्र उगमा, पूसा, नानू होने से प्रत्येक का 1/3 हिस्सा जिसमें उगमा के फौत हो जाने पर उसके सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा पूसा के फौत हो जाने पर भी उसके सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया केवल मात्र वादी सुखपाल ने दावा किया और पूर्व में उसके भाई रणजीत व मां सायरी तथा पूसा ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से बैचान किये उनका उल्लेख नहीं किया और अपने हिस्से से अधिक की भूमि का बैचान कर दिया जिस पर विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य, दस्तावेज प्रदर्शित करवाकर विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जिसके विपरीत पक्षकारान की सहमति नहीं होने के उपरान्त भी बिना साक्ष्य व दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये तनकीयात कायम कर गुणावगुण पर प्राथमिक डिकी पारित नहीं की जिससे अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (अजमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 93/2016 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब बहस में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी जो कि ग्राम लीडी तहसील पीसांगन जिला अजमेर में वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार में संयुक्त रूप से निरंतर अवस्थित चली आ री है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण वर्तमान में उपरोक्त वर्णित पते पर

निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि अराजी भूमि है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण आज दिवस तक उक्त आराजी भूमि पर अविभाज्य रूप से अपने–अपने हिस्से पर काबिजकाश्त चले आ रहे है। यह कि उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के बीच आए दिन अपने अपने हिस्से व सीमा को लेकर लडाई झगडा होता रहता है चूंकि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का आज दिनांक तक बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विधिक बंटवारा नहीं हुआ है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के वारिसान परिजन, मित्रगण, सहयोगी एजेन्ट मुख्त्यारआम, असाइनीज उक्त भूमि का बिना विधिक बंटवारा किये पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये उक्त भूमि पर मकान इत्यादि का निर्माण करने पर आमादा है इस कारण यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के वारिसान परिजन मित्रगण, सहयोगी एजेन्ट, मुख्त्यारआम, असाइनीज उक्त भूमि पर निर्माण कर भूमि की किस्म में परिवर्तन करते है तो विधिक बंटवारा किया जाना असम्भव होगा जिस कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स न्यायिक बटवारा नहीं हुआ है एवं वादी उक्त भूमि पर अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि पर फसल काश्त करता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 से आये दिन लडाई झगडा करते रहते है। जिससे वादी को अपनी पैतृक कृषि आराजी भूमि पर फसल काश्त करना असम्भव हो गया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादी से आये दिन लडाई डागडा करने पर उतारू हो जाते है। इस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 को उपरोक्त वर्णित आराजी का उनके हिस्से अनुसार बंटवारे की आज्ञाप्ति जारी फरमाई जाए जिससे आये दिन लडाई झगड़े की संभावना ना रहे इसी कारण उक्त वाद वास्ते बटवारा सेवा में प्रस्तुत है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादी को बेदखल किये जाने पर एवं गैर कानूनी रूप से बिना विधिक बंटवारा किये निर्माण करने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादी को उसकी पैतृक कृषि खातेदारी भूमि से बेदखल कर देते है तो वादी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका की मूल्यांकन धन में नहीं किया जा सकता है। वादी अपनी पैतृक कृषि भूमि पर बुजुर्गों के समय से काबिज काश्त है जिससे वादी का उक्त पैतृक कृषि भूमि पर हक अधिकार बनता है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी वादी के हक में बनता है। चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में अन्य खातेदार काश्तकार गुलाबी पत्नि स्वर्गीय उगमा एवं सायरी पत्नि स्वर्गीय पूसा फौत हो जाने से एवं रणजीत पुत्र पूसा के नाओलाद फौत हो जाने के कारण वर्तमान वाद पत्र पर पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी को सर्वप्रथम वादकारण दिनांक 20.12.2016 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादी को डराते धमकाते हुए आराजी भूमि को सम्पूण को ही अपना बताते हुए वहां से लडाई झगडा कर बेदखल करने पर आमादा हो गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा किसी भी हालत में उक्त आराजी भूमि को संर्पूण को ही अपनी बताते हुए निर्माण कार्य करने लगे जिसकी मना करने पर प्रतिवादीगण और उग्र हो गये और वादी से लडाई झगडा करते हुए मरने मारने की धमकी दी तत्पश्चात् वादकरण नियमित एवं निरन्तर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न एवं प्रोदभुत हो रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय

विधि सम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उक्त अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 2.5.2018 को प्राथमिक डिक्री किए जाने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किए गए। उक्त आदेश से अंसतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वादी/रेस्पोडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारे एव स्थाई निषेधाज्ञा राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसका प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा प्रवितादी द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष धारा 151 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे/काउण्टर क्लेम विधिनुसार तनकीयाम कायम कर उभयपक्ष की ओर से साक्ष्य समाहित कर तनकीवार निर्णय किया जाना चाहिए था जिसमें उक्त समस्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किए निर्णय पारित किया गया है।

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा साथ में दस्तावेजात पेश किए जो कि प्रतिवादी की ओर से जवाबदावे में किए गए कथन कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने हक हिस्से से ज्यादा की भूमि का बैचान कर दिया है जिसका कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है तथा दिनांक 2.5.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 22.3.2017 को निरस्त किए जाने पर बहस सुनकर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर दिया तथा नैसृगिक न्याय सिद्धांतों के तहत अपनी प्रतिरक्षा के लिए जवाब व सुनवाई तथा बयान आदि का समुचित अवसर दिया जाना न्यायसंगत था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया।

अपीलांट संख्या 1 जगदीश की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पर सुनवाई कर ली गई और जवाबदावे में वर्णित कथनों को आदेशिका दिनांक 2.5.2018 में अंकित किया कि खसरा नम्बर 692 का रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा में से वादी/रेस्पोडेंट सुखपाल, रणजीत पुत्रगण पूसा एवं सायरी पत्नि पूसा ने अपने हिस्से में से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.2.1998 को 19 बिस्वा भूमि का विक्रय पूर्व में कर दिया। जिससे उसके हिस्से में से उक्त भूमि जो बैचान की है कम किया जावे। जिस पर वादी/रेस्पोडेंट ने अपील स्वीकारोक्ति दी कि उन्होंने जितनी भूमि का बैचान किया है वो वादग्रस्त भूमि में से उनके हिस्से में से कम किए जाने पर कोई एतराज नहीं है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 2.5.2018 को आदेश पारित किया गया कि बैचान किए गए हिस्से को कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके पर बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस में

विधिवत बंटवारा करे व प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 6.7.2018 को प्रस्तुत किए जाने के आदेश पारित किए गए।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश ने जवाबदावे के साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाना अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है जिस पर आपत्ति है और सहखातेदारान के मध्य में कोई राजीनामा व सहमति नहीं हुई है ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद को विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य व दस्तावेजात को प्रदर्शित कर तनकी कायम कर विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

अपीलांट/प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि के पुश्तैनी होने एवं उनके पूर्वज सोनाथ के तीन पुत्र उगमा, पूसा, नानू होने से प्रत्येक का 1/3 हिस्सा जिसमें उगमा के फौत हो जाने पर उसके सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा पूसा के फौत हो जाने पर भी उसके सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया केवला मात्र वादी सुखपाल ने दावा किया और पूर्व में उसके भाई रणजीत व मां सायरी तथा पूसा ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से बैचान किए उनका उल्लेख नहीं किया और अपने हिस्से से अधिक की भूमि का बैचान कर दिया जिस पर विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य, दस्तावेज प्रदर्शित करवाकर विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय संगत प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय बिना किसी विवेचन व विधिक तर्क के अनुसार पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (अजमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 93/2016 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को पक्षकार संयोजित करते हुए प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर